of remunerative prices for farmers' produce; if so, its terms and reference; and

(b) whether the Committee has submitted any report; if so, the findings thereof and Government response thereto ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) Yes, Sir, The terms of reference of the Committee are as under :

(i) To examine the design, content and methodology adopted in regard to generation of cost of production estimates under the Comprehensive Scheme for studying the Cost of Cultivation/ Production of various crops ;

(ii) To review the 'terms of trade' between agricultural and non-agricultural sectors and suggest methods to safeguard the interests of the farmers ; and

(iii) Recommend any other measures to improve the remunerativeness of crop production.

(b) No, Sir. The Committee has been requested to submit an interim report by 15th March, 1990 and full report within four months.

महाराष्ट्र में अंगुरों के लिए सुविधायें

412. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में अंगूर उत्पादकों के पास अंगूरों के भंडारण की उचित सुविधाएं नहीं हैं जिसके कारण हजारों मीट्रिक टन अंगूर नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा महाराष्ट्र में ऐसे बड़े भंडार गृह नहीं हैं जहां अंगूर सुरक्षित रखे जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार महाराष्ट्र में अंगूर उत्पादकों को इस प्रकार की सुविधाएं कब तक मुहैया कराने का विचार रखती है ; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) महाराष्ट्र में अंगूर, फल तथा सब्जियों, मांस, मछली तथा दुग्ध उत्पादों आदि का भण्डारण करने के लिए 1,19,437 मीटरी टन की क्षमता वाले 226 शीत भण्डार गृह हैं । तथापि, महाराष्ट्र में अधिकांश शीत भण्डार निजी क्षेत्र में हैं जोकि भण्डारण क्षमता का 76.26 प्रतिशत है । ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि महाराष्ट्र में समुचित भण्डारण सुविधाओं के अभाव में बेशुमार नष्ट हो जाते हैं और अंगूरों को संरक्षित रखने के लिए महाराष्ट्र में कोई बड़े शीत भण्डारगृह नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Provision for reservation of seats for women in the Panchayat Raj Bill

413. SHRI KAILASH PATI MISHRA :
SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether a provision is proposed to be made for reservation of seats for women in the Panchayat Raj Bill; and

(b) if so, to what extent and in what manner?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL) : (a) and (b) The matter is under consideration of the Government.